पत्रसंख्या-स0द0अनु0//2010-2011// 1011056

// वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(सचल दल अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक 08 नवम्बर, 2010

आदेश

शासन के पत्र संख्या - क0नि0-1175/ग्यारह-2-2010-9 (166)/2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 के अन्तर्गत प्रदत्त सैद्धान्तिक सहमति के क्रम में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 (वैट नियमावली) के नियम -59 में प्राविधानित ऐसे आयात घोषणा पत्रों जो कि डाक, रेल, नदी या वायु मार्ग द्वारा करयोग्य माल के आयात से सम्बन्धित है, को माल के परिदान के पूर्व कर निर्धारक अधिकारी से पृष्ठांकन की व्यवस्था एतद्द्वारा अग्रिम आदेशों तक के लिये स्थगित करते हुये उक्त नियमावली के नियम -59 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्न व्यवस्था प्रभावी की जाती है:-

1- उपर्युक्त साधनों से करयोग्य माल का परिवहन एवं आयात किये जाने पर उससे सम्बन्धित घोषणा पत्र को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (वैट अधिनियम) की धारा -51 (2) के अन्तर्गत कर निर्धारक अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी से पृष्ठांकन कराने की आवश्यकता न होगी।

2- परिवहनकर्ता विभाग के सम्बन्धित प्राधिकारी को एतत्पश्चात ऐसे करयोग्य माल के परिदान के पूर्व किसी नियत प्रारुप पर प्रमाण पत्र या पृष्ठांकित घोषणा पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता न होगी और माल का परिदान आयातक को किया जा सकेगा।

3- परिवहनकर्ता विभाग के सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा ऐसे करयोग्य माल के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचनायें वाणिज्य कर विभाग से प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के अनुरोध पर तत्काल प्रदान की जायेगी।

4- समस्त प्रकार के सम्व्यवहारियों,जिनमे केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों, कारपोरेशन्स तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज एवं अन्य व्यापारी सम्मिलित हैं, के द्वारा डाक, रेल, नदी या वायुमार्ग से प्रान्त बाहर से आयातित माल की डिलीवरी प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर माल से सम्बन्धित प्रपत्र- 38/39 की मूल प्रति डिलीवरी रिसिप्ट, बिल्टी एवं माल से सम्बन्धित बिल व चालन की स्वत: प्रमाणित छाया प्रतियों सहित अपने कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे।

5- एक से अधिक शाखाओं/गोदामों वाले सम्व्यवहारी, सम्बन्धित शाखा / गोदाम की क्षेत्राधिकारिता वाले कर निर्धारक अधिकारी को भी उक्त प्रपत्र-38/39 नियत अवधि में प्रस्तुत कर सकेंगे जो उक्त प्रपत्रों की मूल प्रतियां सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को 07 दिवस के अन्दर प्रेषित करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

क्रमश: पृष्ठ-2 पर

08/11/10

6- परिवहन के उपर्युक्त साधनों से माल के आयात हेतु आयात घोषणा पत्र (प्रपत्र-38/39), बिल (इनवाइस), बिल्टी (जी0आर0) एवं चालान आदि के निर्गमन/प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित प्राविधान जो उक्त नियमावली के नियम -54/56/57 में वर्णित हैं, आवश्यक परिवर्तनों सहित पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

7- उपर्युक्त साधनो से आयातित माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्रों के सम्बन्ध में नियत अवधि का उल्लंघन वैट अधिनियम की धारा -54 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

वाणिज्य कर मुख्यालय एवं जोनल एडीशनल कमिश्नर के स्तर से इन निर्देशों का सम्यक् प्रचार-प्रसार करते हुये अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर,वाणिज्य कर, उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय,लखनऊ।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, कर एवं निबन्धन विभाग, सचिवालय,लखनऊ।
3- महानिदेशक, डाक सेवायें, जी0पी0ओ0 लखनऊ एवं महाप्रबन्धक रेलवे, एन0आर0/एन0ई0आर0,लखनऊ।
4- एयरपोर्ट अथारिटीज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं गोरखपुर।
5- मुख्यालय के समस्त एडीशनल कमिश्नर तथा अपर निदेशक, प्रशिक्षु संस्थान, लखनऊ।
6- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)/अपील/वाणिज्य कर, उ0प्र0।
8- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0)/(कारपोरेट सर्किल)/टैक्स आडिट, वाणिज्य कर,उ0प्र0।
9- समस्त कर निर्धारक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,उ0प्र0।
10- मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी एवं उप निदेशक (संख्या) वाणिज्य कर,मुख्यालय।

(बी0 राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,उ0प्र0।